आंतरिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में नक्सलवादी विचार का प्रसार एवं प्रभाव

डा0 आनन्द कुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,
रक्षा अध्ययन विभाग,
हिन्दू कालेज, मुरादाबाद, उ0प्र0

सारांश

नक्सलवाद या माओवाद का भारतीय संदर्भ में एक ही अर्थ है। भारतीय सरकार द्वारा उग्रवादी वामपंथियों को ही नक्सलवाद की नक्सलवादियों की संज्ञा दी गई है। 80 के दशक के मध्य में कुछ संगठनों का पिछले इलाकों में गठन किया गया। जैसे– आंध्र प्रदेश में पीपुल वार ग्रुप, बिहार, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में माओवादी समन्वय समिति। 90 के दशक में माओवादी गतिविधियों का विस्तार तेजी से अल्पविकसित एवं जनजाति क्षेत्रों में हुआ। सितंबर 2004 में दो संगठनों पी0डब्ल्यू0जी0 एवं एम0सी0सी0 ने आपस में विलय कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नाम से नए संगठन को जन्म दिया गया। परिणाम स्वरुप यह राज्यों के लिए कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया। जिसके कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला दुर्भाग्य से वे सभी कारण आज भी मौजूद हैं। समाज में व्याप्त वर्ग भेद के साथ गरीबी एवं बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है।

प्रस्तावनाः

किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा वातावरण के आकलन के समय उसकी आंतरिक स्थिति का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है। दरअसल आंतरिक स्थितियां सीधे तौर पर आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। जे बंधोपाध्याय ने आंतरिक सुरक्षा के संबंध में दो परिभाषाओं को प्रतिपादित किया हैः–

पहली परिभाषा आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य किसी संविधान विशेष अथवा शासन विशेष शासन के अनुरूप जिसकी भी किसी भी हिंसात्मक आंतरिक विरोध से सुरक्षा की जानी है। **दूसरी परिभाषा** के अनुसार आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य राज्य की स्थिरता जीवन क्षमता और स्थायित्व का स्वयं के अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व से है जिसकी उन हिंसात्मक रूप से अराजक अथवा अव्यवस्थित ताकतों से

रक्षा की जानी है जो कि अंदर से ही प्रत्यक्ष रूप से उसके अस्तित्व को खतरे में डालती है जिससे कि वह वाहे आक्रमण अथवा प्रभुत्व का आसान शिकार बन जाए।[1]

इस शोध लेख में भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों का आकलन दूसरी परिभाषा के आलोक में किया जाएगा। कब कहां क्या और कौन सी विनाशकारी घटना घटित हो जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। भारत के गृह मंत्रालय से प्राप्त तथ्यों के अनुसार देश के 535 जिलों में से 200 जिले सशस्त्र विद्रोह आतंकवादी गतिविधियों जातिवादी और नक्सली शत्रुता एवं संघर्ष के चंगुल में है। क्योंकि इस शोध लेख का केंद्र बिंदु नक्सलवाद है तो आइए इसी पर चर्चा केंद्रित करते हैं। शोध लेख का शीर्षक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने वर्ष 2010 में भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित संबोधित करते हुए कहा था कि नक्सल आंदोलन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है।[2]

नक्सलवाद या माओवाद का भारतीय संदर्भ में एक ही अर्थ है। भारतीय सरकार द्वारा उग्रवादी वामपंथियों को ही नक्सलवाद की नक्सलवादियों की संज्ञा दी गई है। नक्सलवाद की समस्या का आरंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से कानू सान्याल व चारू मजूमदार के नेतृत्व में मार्च 1967 में प्रारंभ हुआ धीरे–धीरे यह आंदोलन बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य तक पहुंच गया देश के लगभग एक तिहाई हिस्से पर देश भर में भारतीय कानून व्यवस्था को नक्सलवादी आंदोलन ने चुनौती पेश की है। लाल गलियारे के नाम से प्रसिद्ध लगभग 56000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नक्सलियों नक्सलियों को चढ़ावा दिए बगैर कोई भी व्यापार या उद्योग नहीं चलता। इसके अलावा कर्नाटक तमिलनाडु केरल मिजोरम मणिपुर असम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी यह माओवादी सकरी हुए हैं। 2009 में गृह मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि खुफिया सूचना के मुताबिक दिल्ली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी नक्सली हिंसा के सबूत मिले हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1968 की दो घटनाओं से मानी जाती है पहली पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी जिले के नक्सलबाड़ी नामक स्थान पर भूमिहीन किसानों द्वारा जमींदारों अथवा भू स्वामियों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया जिसका नेतृत्व चारू मजूमदार ने किया जिसे कानू सान्याल एवं जंगल संथाल के साथ नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रणिता माना जाता है।

ठीक इसी समय आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम के तेलंगाना क्षेत्र में सी पुल्ला रेड्डी के नेतृत्व में भी एक किसान आंदोलन शुरू हुआ यद्यपि इसका नक्सलबाड़ी से कोई संबंध नहीं था किंतु दोनों ही आंदोलन हिंसक प्रवृत्ति के थे और चीन एवं सोवियत संघ के सफल साम्यवादी आंदोलन से प्रेरित थे। जबकि आगे चलकर नक्सलबाड़ी आंदोलन सुरक्षा बलों द्वारा नेतृत्व विहीन तथा सरकार के भूमि सुधार प्रभावों के कारण मृतप्राय हो गया परंतु आंध्र प्रदेश एवं बाद में उड़ीसा में आंदोलन जारी रहा और वहां से अन्य राज्यों में पुनः फैल गया।

वर्ष 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से अलग होकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का गठन किया गया। इसी नए दल से विभाजित होकर वर्ष 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लेलिन वादी का गठन हुआ। सरकार द्वारा वर्ष 1970 से 77 के मध्य किए गए कार्यों नेतृत्व नेता वैचारिक मतभेदों पुलिस कार्यवाही तथा चीन की अनदेखी से यह आंदोलन लगभग शांत पड़ गया। परंतु 80 के दशक के मध्य में कुछ संगठनों का पिछले इलाकों में गठन किया गया जैसे आंध्र प्रदेश में पीपुल बार ग्रुप बिहार झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में माओवादी समन्वय समिति। 90 के दशक में माओवादी गतिविधियों का विस्तार तेजी से अल्पविकसित एवं जनजाति क्षेत्रों में हुआ। सितंबर 2004 में दो संगठनों पी डब्ल्यू जी एवं एमसीसी ने आपस में विलय कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नाम से नए संगठन को जन्म दिया गया परिणाम स्वरुप यह राज्यों के लिए कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया।[3]

वर्तमान समय में भारत का लगभग 35ः क्षेत्रवाद क्षेत्रफल माओवादी आंदोलन की चपेट में है वर्ष 2006 में नक्सली आक्रमण की 1509 घटनाएं दर्ज की गई वहीं 2007 में इनकी संख्या 15 से 55 हो गई जिसमें 28ः घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई थी। वर्तमान समय में विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा कृषि भूमि पर नियंत्रण को लेकर आंदोलन को पुनः संगठित किया जा रहा है

भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का राज्यवार विवरणः

बुरी तरह प्रभावित राज्य एवं जिले :

छत्तीसगढ़ – 09

झारखंड – 24

बिहार – 31

आंध्र प्रदेश – 21

उड़ीसा – 17

महाराष्ट्र – 8

मध्यम प्रभावित राज्य एवं जिले :

मध्य प्रदेश – 5

पश्चिम बंगाल – 18

उत्तर प्रदेश – 10

केरल – 03

प्रारंभ में नक्सलवादियों का उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक समानता को स्थापित करना था इन्हीं विचारों का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारु मजूमदार ने घोषणा की थी कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है।[4] माओवादी विचारधारा से प्रेरणा लेने वाले नक्सलवादी पार्टी के गठन के 2 साल बाद तक वह बहुत चर्चा में रहे नक्सलवादी आंदोलन शुरू शुरू में दूर गांव तक फैल चुका था देश के तमाम हिस्सों में पहुंच चुका था सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य गोवा पांडिचेरी और अंडमान निकोबार दीप अकेला के से अछूते रहे। इस आंदोलन के नेता चारु मजूमदार का अनुमान था कि भारत का हर कोना एक ज्वालामुखी बन चुका है। यह फूटने वाला ही था और भारत में बहुत ज्यादा उथल–पुथल की संभावना थी पूर्णविराम यही ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सदस्यों का आह्वान किया था उनका संदेश था कि संघर्ष कहीं भी और हर जगह विस्तार करो। उसके सशस्त्र संघर्ष के अतिरिक्त आमजन के बीच अपने को ऊंचा उठाने का कार्य किया कालांतर में उसने छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी आजाद निर्माण कार्य आरंभ कर दिया था और उसे बाद में सफलता भी मिली थी।[5]

नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि एक यह समस्या है मानव व्यवहार की इसकी जड़ें अन्याय बोध की भावना से जुड़ी हुई है नक्सली समस्या के पीछे गहरी सामाजिक आर्थिक समानता है छिपी हैं अब तक केंद्र से लेकर राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को कानून व्यवस्था का मामला मानकर हल करने का प्रयास किया था यही कारण रहा कि लगभग के दशक बीत तमाम दशक बीत के बाद भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है।[6]

नक्सलवाद प्रभावित राज्यों की समस्या के संबंध में केंद्र द्वारा बुलाई गई अनेक बैठकों में यह बात सामने आई है कि नक्सली आंदोलन के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान प्रायर

केंद्र राज्य खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पाई जाती है जिससे अभियान पर बुरा असर पड़ता है। इन बैठकों का सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह विभिन्न राज्यों की प्रतिरोधी रणनीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी लेकिन परिणाम स्वरुप अब तक केंद्र सरकार की भूमिका अर्धसैनिक बलों को भेजने राज्यों को सुरक्षा संबंधी वह का भुगतान करने तथा पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण तक सीमित था वही नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को जब भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो यह बात अवश्य कहें कि नक्सलवाद की समस्या देश की सबसे बड़ी समस्या है।[7]

जिन कारणों के कारण देश में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला दुर्भाग्य से वे सभी कारण आज भी मौजूद हैं। समाज में व्याप्त वर्ग भेद के साथ गरीबी एवं बेरोजगारी भी एक प्रमुख कारण है। भूमि सुधार कार्यक्रमों पर ईमानदारी से अमल नहीं गया। नक्सलवाद आज इस कारण से जिंदा है क्योंकि हमारे समाज में असंतोष एवं विक्षोभ के कारण सतत बने हुए हैं।[8]

आज कई नक्सली संगठन वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गए हैं और संसदीय चुनाव में भी भाग लेते हैं।लेकिन बहुत से संगठन अब भी छदम लडाई में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के विचाराधात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्रप्रदेश, छत्तीसगण, उडीसा, झारखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में झेलनी पड़ रही है। सन् 2004 में माओवादी संगठन पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का गठन किया गया । नक्सलवादी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। रेल पटरियां उखाड़ना, सुरक्षा बलों पर हमला करना, बम विस्फोटक बनाना, बैंक लूट आदि में शामिल हैं।[9]

अब तक हजारों की संख्या में ग्रामीण, सुरक्षा तंत्र के लोग तथा अन्य नक्सली हिंसा का शिकार हो चुके हैं। नक्सलवादी खुद को ग्रामीण का हितैषी मानते हैं। वे सोचते हैं कि सरकार सिर्फ अपना भला सोचती है उसे आम स्तर या ग्रामीण क्षेत्र विकास से कोई मतलब नहीं है इसलिए वह अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं।[10]

6 अप्रैल 2010 को नक्सलियों ने सी0आर0पी0एफ0 के 75 जवानों को छत्तीसगण के दाँतेवाला जिले में अचानक से हमला करके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तथा दरभा झीरम घाट पर 11 मार्च 2014 को हमला करके 15 जवानों को मार दिया था। तथा कोलकाता में रेल की पटरियां उखाड़ देने से ट्रेन नीचे उतर गई जिससे 150 से अधिक सैनिकों की जान चली गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलवाद ने सामाजिक तनाव का रूप ले लिया है। समृद्ध भूमि–पतियों

का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इससे खेती चौपट हो रही है।जमीन पर अधिकार को लेकर जातीय संघर्ष भी बड़े हैं, साथ ही हिंसक संघर्ष देखने को मिल रहे हैं।[11]

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

आमतौर पर कानून–व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है यानी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम संबंधित राज्य का होता है। लेकिन नक्सलवाद की विकटता को देखते हुए गृह मंत्रालय में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये एक अलग प्रभाग बनाया गया।

सरकार वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर काम कर रही है।

वर्ष 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरूआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावित ज़िलों में युवाओं को रोज़गार के लिये प्रशिक्षित किया जा सके।[12]

नक्सलवाद का निवारण

नक्सलियों के बढ़ते प्रभाव और हिंसा को देखते हुए अब उनके खिलाफ कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार सेना के इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि नक्सल आपरेशन में सेना को सीधे शामिल किये बिना परोक्ष तौर पर ही मदद लेनी चाहिए। स्थानीय पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने में सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। परंतु सेना का सीधा उपयोग उचित नहीं होगा।[13]

वायुसेना को भी नक्सल विरोधी आपरेशनों से सीमित भूमिका के लिए तैयार किया जा सकता है। जैसे– सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, नक्सल प्रभावित इलाकों के ऊंचाई से फोटो खींचना, दूरबीन से उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जैसे अहम कार्य शामिल हैं।[14]

नक्सल समस्या के समाधान में आने वाली चुनौतियाँ

- दरअसल नक्सलवाद सामाजिक–आर्थिक कारणों से उपजा था। आदिवासी गरीबी और बेरोज़गारी के कारण एक निचले स्तर की जीवनशैली जीने को मज़बूर हैं। स्वास्थ्य–सुविधा

के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौत कोई आश्चर्य की बात नहीं।

- आदिवासियों का विकास करने के बजाय, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा सेवा और रोजगार देने के बजाय उन्हें परेशान करने के नए–नए कानून बनाए जाते हैं।
- आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की दुर्दशा अभी भी जस की तस बनी हुई है। यकीनन इस तरह की समस्यायों में हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है।
- इन्हीं असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। इससे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही।
- इसके साथ ही बुनियादी ढाँचे का अभाव तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों और संचार सुविधाओं की कमी है।
- नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ उठाया जाना तथा केंद्र और राज्यों तथा अन्य राज्यों के बीच आपसी समन्वय का अभाव।

निष्कर्षः

एक तरफ जहाँ इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक विषमता समझी जाती रही है, वहीं दूसरी ओर इसे अब एक राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। यही कारण है कि जानकारों की नज़रों में नक्सलवाद सियासी दलों की एक 'चुनावी चक्की' है जिस पर मौका मिलते ही आटा पीसने की कोशिश की जाती है। ऐसा इसलिये भी कहा जाता है क्योंकि, हमारी सरकारें लगातार संविधान की पाँचवीं अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही हैं। गौरतलब है कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं। पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना की बात की गई। दरअसल, इन क्षेत्रों में सलाहकार परिषद एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस कौंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं जिनके तीन–चौथाई सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधान सभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हिंसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था ज्यादा दिन

तक चल नहीं पाती और अंततः टूट जाती है। दूसरी ओर सरकार को भी कानून–व्यवस्था की समस्या से ऊपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने चाहिये।

संदर्भ

1. जे0 बंधोपाध्याय, द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 9–10.
2. नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 7 फरवरी 2010, मुख्य पृष्ठ।
3. कुमार, संजय, संपादित, भारत की आंतरिक सुरक्षाः मुद्दे और चुनौतियां, सनराइज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 81–82 ।
4. नेगी, डॉक्टर अवतार सिंह, नक्सलवादः आंतरिक शासन को चुनौती देती एक समस्या, तुणीर, गोरखपुर, वर्ष–3, अंक–7, 15 अगस्त 2006, पृष्ठ– 52।
5. योजना, भारत सरकार, मार्च 2006, पृष्ठ 26 ।
6. इंडिया टुडे, मार्च 2007, पृष्ठ 2003।
7. आउटलुक, कवरस्टोरी, नक्सलवादः एक हिंसात्मक विचार, जून 2010, पृष्ठ 75 ।
8. सिन्हा, यशवंत, नक्सलवाद के मूल बिंदु, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, संपादकीय पृष्ठ, 12 अक्टूबर 2010।
9. आनंद वी0, नक्सल थ्रेट्स एंड स्टेट रिस्पांस, वर्ल्ड फोकस, नई दिल्ली, 2006, पृष्ठ 30 ।
10. वही ।
11. द हिंदू, संपादकीय, 12 मार्च 2021.।
12. मनोज कुमार, दैनिक जागरण, जागरण जोश ऑनलाइन-**www.jagranjosh.com** 8 जून 2013
13. द हिंदू, आर. के. सिंह, पीटीआई, रायपुर, 28 मई 2013.
14. द हिंदू, नई दिल्ली, स्पेशल कॉरस्पॉडेंट, 30 मई 2013.